संख्या–288/XVI-1/20/05(28)/2014

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2– पुलिस उप महानिरीक्षक, गढ़वाल /कुमायूँ परिक्षेत्र।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 28 मार्च, 2020

विषयः– कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन के मध्य कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में आवश्यक निवेशों के परिवहन में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश संख्या–217/UKMFWS/PS-MDNNM/2019-20, दिनांक 22.03.2020 एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–170/नि.स./2020, दिनांक 24.03.2020 के द्वारा लॉकडाउन की स्थिति में आवश्यक सेवाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें बिन्दु–e के बिन्दु संख्या–xvi में आवश्यक सेवाओं के सम्बन्ध मे कतिपय आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– अवगत कराया जाना है कि उद्यान विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित सेब, आड़ू, खुबानी आदि फलों तथा मैदानी क्षेत्रों में आम, लीची के बागानों में फ्लावरिंग का कार्य चल रहा है। साथ ही वर्तमान में प्रदेश में हल्दी, अदरक बुवाई एवं पौधा सुरक्षा तथा सब्जी पौधों का रोपण कार्य सामयिक रूप में चल रहा है, के क्रम में निम्नानुसार उक्त के अन्तर्गत छूट प्रदान की जाती हैः–

(1) राज्य में मौनपालकों के मौनवंशों के माइग्रेशन एवं मशरूम उत्पादन की बिक्री में लोडिंग अनलोडिंग में प्रयुक्त होने वाले वाहन एवं श्रमिक।
(2) समस्त कीट–व्याधि नाशक रसायनों के साथ–साथ हल्दी एवं अदरक की ढुलाई में प्रयुक्त होने वाले वाहन एवं श्रमिक।
(3) प्रदेश में स्थापित उद्यान सचल दल केन्द्रों, राजकीय उद्यानों में अनिवार्य औद्यानिक क्रियाकलापों के संचालन हेतु विभागीय कार्मिक/श्रमिक तथा प्रयुक्त होने वाले वाहन।
(4) राजकीय उद्यानों की बागबहार की नीलामी व निस्तारण में प्रतिभाग करने वाले ठेकेदार एवं सम्बन्धित राजकीय कार्मिक एवं प्रयुक्त होने वाले वाहन।

उक्त वर्णित शासनादेश में उक्त अंश में छूट प्रदान करते हुए अन्य निर्देश यथावत् रहेगें।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या–288(1)/XVI-1/20/05(28)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 उद्यान मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा।
3– निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून।
4– संयुक्त निदेशक, उद्यान, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
5– वरिष्ठ कीट विद्, राजकीय मौन पालन केन्द्र, ज्योलीकोट, नैनीताल।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।